भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2115

दिनांक को उत्तर देने के लिए 12.03.2025

ईबिल प्रणाली-

2115श्री आलोक . शर्मा:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

श्री दुलू महतो :

श्री जुगल किशोर :

डॉ :लता वानखेड़े .

श्री खगेन मुर्मु :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या मंत्रालय में सभी वित्तीय लेन-देन के लिए ई-बिल प्रणाली लागू कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भुगतान की कतिपय विशिष्ट श्रेणियां हैं जिन्हें वर्तमान में इस प्रणाली से बाहर रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-बिल प्रणाली को सुरक्षित बनाने और कपटपूर्ण बिलिंग प्रक्रियाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए है; और

(घ) क्या ई-बिल प्रणाली लागू किए जाने से सरकार को विशेषकर प्रशासनिक व्यय में कमी के संबंध में कोई लागत बचत हुई है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) एवं (ख) जी हां, पीएफएमएस के माध्यम से वित्तीय संव्यवहार जैसे व्यावसायिक सेवाओं, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, मुद्रण एवं प्रकाशन आदि के भुगतान के लिए ई-बिल प्रणाली लागू की गई है। भुगतान की कतिपय श्रेणियों जैसे एनएसडीएल को एनपीएस बिल भुगतान, जीपीएफ बिल, जीएसटी चालान बिल

आदि जैसे कुछ भुगतान श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पीएफएमएस के ईआईएस (कर्मचारी सूचना प्रणाली) मॉड्यूल में इन्हें संसाधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ।

(ग) समय-समय पर, लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैं, जिनका सख्ती से पालन किया जा रहा है।

(घ) जी हां, ई-बिल प्रणाली के आरंभ होने से कागज, मुद्रण, डाक टिकट और परिवहन शुल्क से संबंधित प्रशासनिक व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है।

*****